आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

आदेश

विविध वाद संख्या– 01/2016

धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अरूण सिंह ———————— प्रथम पक्ष

बनाम्

07-06-2022

जपाली साव वगैरह ———————— द्वितीय पक्ष

P 229 09-08-22

P 247 23-08-22

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
तेलियाडीह	2	451	3.99 एकड़	उ0– जंगल झाड़ी द0– जंगल झाड़ी पू0– परती कदीम प0– टॉड़ नीज
"	"	460	0.17 एकड़	उ0– परती पत्थर द0– जंगल झाड़ी पू0– टांड़ नीज प0– टांड़ नीज
"	"	461	0.87 एकड़	उ0– आहर द0– जंगल झाड़ी पू0– नीज प0– जंगल झाड़ी
"	"	459	0.32 एकड़	उ0– टांड़ द0– दलभजन सिंह पू0– दलभजन सिंह प0– नीज

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	यह वाद आवेदक अरूण सिंह पिता– स्व0 भोला सिंह, ग्राम– कोरागी, पो0– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू ने 1. जपाली साव पिता– स्व0 फगुनी साव, 2. सूर्यदेव साव पिता– स्व0 मानिक साव, 3. मिठु साव पिता– स्व0 दिगु साव, 4. दशरथ साव पिता– स्व0 बिगु साव, 5. पुरण साव पिता– स्व0 मानिक साव, 6. सरयू साव पिता– स्व0 प्रगाश साव, 7. मराछु साव पिता– स्व0 प्रगास साव, 8. देवबली साव पिता– शंकर साव, 9. नन्दु साव पिता– सुनिल साव, 10. लक्षुमण साव पिता– स्व0 कवल साव, 11. बासुदेव साव 12. हरखु साव, 13. विनेश्वर सावा तीनो के पिता– स्व0 श्री साव सभी ग्राम– तेलियाडीह, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के विरूद्ध धार 145 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2015 को दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 1167 दिनांक 10.09.2015 के द्वारा अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार के पत्रांक 251 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से संतुष्ट होकर विवादित भूमि पर धारा 145 दं0 प्र0 सं0 की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उभय पक्ष की ओर से लिखित कथन एवं लिखित बहस दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

कि ओर से 04 एवं द्वितीय पक्ष कि ओर से 04 गवाहों की गवाही लिया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना।

प्रथम पक्ष के लिखित कथन का सार यह है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का सम्पूर्ण हक, दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित था और द्वितीय पक्ष बलपूर्वक इस वाद के भूमि के ऊपर अवैध और निराधार विक्रय पत्र निष्पादन कराकर प्रथम पक्ष के शांतिपूर्ण दखल– कब्जा में विवाद उत्पन्न कर रहे हैं तथा द्वितीय पक्ष का इस वाद के भूमि पर दावा काल्पनिक एवं निराधार है। प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के खतियानी भूमि है। देवधारी सिंह खाता सं0– 2, ग्राम– तेलियाडीह के खतियानी रैयत थे। इनका नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज था। जबतक देवधारी सिंह जिन्दा रहे तबतक इस वाद के भूमि पर उनका दखल– कब्जा रहा। देवधारी सिंह के निधन के उपरांत देवधारी सिंह के वंशज इस वाद के भूमि पर दाखिल कावीज हुए और देवधारी सिंह के वंशजों के पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार इस वाद की भूमि प्रथम पक्ष के अरूण सिंह को प्राप्त हुआ और अरूण सिंह शांतिपूर्वक इस वाद के भूमि के ऊपर दाखिल– कावीज होकर खेती बारी करते चले आ रहे हैं तथा अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेश के आलोक में इस वाद के भूमि का जमाबंदी अरूण सिंह के नाम से संधारित हुआ और अरूण सिंह सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष को वाद भूमि से कभी कोई

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सरोकार नहीं रहा है। द्वितीय पक्ष जगदेव बढ़ई वगैरह से अवैध विक्रय पत्र के आधार पर दावा करते हैं, जबकी जगदेव बढ़ई प्रश्नगत भूमि पर दखल– कब्जे में नहीं थे।	
	द्वितीय पक्ष के लिखित बहस का सार यह है कि मौजा– तेलियाडीह के खाता सं0– 14, के खतियानी रैयत कालीचरण साव, रधुन साव, गौरी साव, तिलकधारी साव सभी के पिता– गुरूसन साव, माकन साव पिता– सूर्यनाथ साव के नाम से सर्वे में खतियान बना है। खाता सं0– 14 से दरैयती खाता सं0– 2 बना है। खाता सं0– 2 के दरैयत देवधारी सिंह हैं। देवधारी सिंह के मृत्यु के बाद इनके पुत्र प्रकाश सिंह, दुखन सिंह पिता– स्व0 युदनंदन सिंह पत्नि झुलवासी कुंवर एवं स्व0 रघुनंदन सिंह के पुत्र स्व0 भोला सिंह अपने जीवनकाल में आपस में चारो संयुक्त रूप से झांसा देते हुए दरैयती हक कह कर प्रश्नगत भूमि खाता सं0– 14 दरैयती खाता सं0– 2, प्लॉट सं0– 451, रकबा– 3.99 एकड़, प्लॉट सं0– 460, रकबा– 0.17 एकड़ , प्लॉट सं0– 461, रकबा– 0.87 एकड़, प्लॉट सं0– 459, रकबा– 0.37 एकड़ कुल रकबा– 5.35 एकड़ भूमि जगदेव बढ़ई वल्द भगरती बढ़ई, मुनारिक बढ़ई उर्फ मुन्द्रिका बढ़ई वल्द खेलावन बढ़ई मौजा– नागुदाग के निवासी से निबंधित विक्रय पत्र सं0– 2915 दिनांक 17.07.1960 को विक्रीनामा कर दिए। जगदेव बढ़ई एवं मुनारिक बढ़ई निबंधन सं0– 2915 द्वारा खरिदगी भूमि को जब अंचल कार्यालय,	

(19)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	छत्तरपुर में अपने नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र दिये। अंचल कार्यालय द्वारा पूर्णतः जानकारी हुई की दरैयती खाता सं0– 2 के दरैयत या उनके वारिशान के नाम से कोई मांग पंजी II में दर्ज नहीं है। यह तथ्य सत्य इसलिए प्रमाणित होता है कि CNT Act में किसी भी धारा में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिससे की रैयत अधिकार दरैयत में समाविष्ट हो जाय। जगदेव बढ़ई के वारिशान राजकुमार बढ़ई, वंशराज बढ़ई एवं मुनारिक बढ़ई को जब दरैयती अधिकार की सत्यता तथा दरैयत के वारिशान द्वारा दी गई झांसा को पता चला तो पुनः प्रश्नगत भूमि को गत सर्वे खतियानी रैयत के वंशज का उल्लेख लिखित कथन में है। खतियानी रैयत के वारिसान अपने हिस्से की भूमि बंशी साहु, भुलन साहु वल्द अर्जुन साहु मौजा– नामुदाग के निवासी से विक्रीनामा पूर्व में ही कर चुके थे। सभी संयुक्त रूप से निबंधन विक्रय पत्र सं0– 5527 दिनांक 20.05.1985 को उचित जरसमन देकर प्रश्नगत भूमि को क्रय किए। राजकुमार बढ़ई, बंशराज बढ़ई दोनो के पिता– स्व0 जगदेव बढ़ई, विरेन्द्र मिस्त्री, महाराज मिस्त्री, कैलाश मिस्त्री तीनो के पिता– स्व0 मुनारिक बढ़ई अपने खरिदगी भूमि पर शांतिपूर्वक दखल– कब्जा में आए तथा जोत कोड़ करने लगे। द्वितीय पक्ष ने विभिन्न निबंधित विक्रय पत्र से प्रश्नगत भूमि क्रय किए हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्य विक्रय पत्र से प्राप्त भूमि पर शांति पूर्वक दखल– कब्जा एवं जोत कोड़ में चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के दाखिल केवाला के आधार पर अंचल	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अधिकारी, छत्तरपुर द्वारा नामांतरण सम्पन्न हुआ और सरकारी लगान रसीद द्वितीय पक्ष के नाम से निर्गत होते चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा चौहद्दी दिया गया है वह पूर्णतः गलत है। जबकी वर्तमान में प्रश्नगत भूमि का चौहद्दी अलग है, जो द्वितीय पक्ष के द्वारा खरिदगी भूमि में अंकित है। प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण द्वारा बढ़ई वगैरह से जो खरिद किए हैं, इसका सर्वे का पर्चा विक्रेतागण राजकुमार बढ़ई वगैरह के नाम से बना है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण द्वारा इस पर्चा के विरूद्ध राजस्व पदाधिकारी, डालटनगंज के यहाँ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 87 के अंतर्गत दफा दायर किया गया है, जिसका क्रमशः राजस्व वाद सं0— 4029/11, 4030/11, 4033/11, 4037/11, 4174/11, 4183/11, 4184/11, 4188/11, 4557/11, 5331/11, 6332/11, 6140/11, एवं 7168/11 है। द्वितीय पक्ष के द्वारा माननीय सिनियर सिविल जज, पलामू के न्यायालय में ऑरिजनल सूट सं0— 73/2015 दिनांक 07.10.2015 में दायर किया गया है, जिसके संबंध में पूर्व में भी न्यायालय में सूचना दिया गया है, जिसपर अबतक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष की ओर से 4 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है:— **प्रथम पक्ष साक्षि संख्या— 01:—** तबारक मियाँ पिता—स्व0 गुलाब मियाँ, ग्राम— तेलियाडीह, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू	

20

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

ने अपने परीक्षण में बताया है कि प्रश्नगत भूमि 10 वर्ष पूर्व उन्हे बटाई में अरूण सिंह दिये थे जिसका फसल अरूण सिंह को देते थे। प्रतिपरीक्षण में भूमि कितने टुकड़ों मे है तथा चौहद्दी बताने में असमर्थ रहे।

<u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 02</u>:– प्रसाद भुईयाँ पिता– स्व0 रामदेव भुईयाँ, ग्राम– रबदी, थाना– नौडीहा बाजार, जिला–पलामू ने अपने परीक्षण में बताया गया है कि उक्त भूमि पर 8 वर्ष तक बटाई एवं जोत कोड़ किये हैं। द्वितीय पक्ष विरोध नहीं किए थे। प्रतिपरीक्षण में प्रथम पक्ष के द्वारा धान का फसल लगाने का दावा किया है।

<u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 03</u> :– रामपृत राम पिता– स्व0 राधिका राम, ग्राम– कोरामी, थाना– नौडीहा बाजार, जिला–पलामू ने अपने परीक्षण में अरूण सिंह के द्वारा खेती करने तथा मेरे द्वारा अरूण सिंह के कहने पर कुदाल चलाए हैं। प्रतिपरीक्षण में भी भूमि पर जोत कोड़ अरूण सिंह का होने का दावा किया गया है।

<u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 04</u> :– अरूण कुमार सिंह पिता– स्व0 भोला सिंह, ग्राम– कोरामी, थाना– नामुदाग, जिला– पलामू ने अपने परीक्षण में प्रश्नगत भूमि खतियानी भूमि होने तथा पारिवारिक बटवारा के तहत प्राप्त होने तथा दखल– कब्जा होने का दावा किये हैं। प्रतिपरीक्षण में विपक्षी को भूमि खरिदगी से प्राप्त होने की जानकारी से इन्कार किया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष कि ओर से 04 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्राकर है:—	
	द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या— 01:— ओम प्रकाश पिता— गंगा विष्णु, ग्राम— तेलियाडीह, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू ने अपने परीक्षण में द्वितीय पक्ष को भूमि केवाला से प्राप्त होने तथा द्वितीय पक्ष का दखल— कब्जा होने का दावा किया गया है तथा उक्त भूमि का खाता, प्लॉट एवं रकबा को बतलाया गया है। प्रतिपरीक्षण में जयपाली साव रिस्ते में चाचा लगने की बात कही है।	
	द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या— 02:— चंदन साव पिता— कनहाई साव, ग्राम— तेलियाडीह, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू ने अपने परीक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल— कब्जा होने का दावा किया गया है तथा उक्त भूमि का खाता, प्लॉट एवं रकबा को बतलाया गया है।	
	द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या— 03:— प्रवेश साव पिता— समाती साव ग्राम— तेलियाडीह, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू ने अपने परीक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर राजकुमार मिस्त्री वगैरह का जोत— कोड़ एवं दखल— कब्जा होने का दावा करते हैं तथा उक्त भूमि का खाता, प्लॉट एवं रकबा को बतलाया गया है।	
	द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या— 04:— सीता राम सिंह पिता— स्व0 विष्णुदेव सिह, ग्राम— कोरामी, थाना— नौडीहा बाजार, जिला—	

21

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पलामू ने अपने परीक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर द्वितीय पक्ष को केवाला से प्राप्त होने तथा दखल– कब्जा होने का दावा किया गया है साथ ही उक्त भूमि का खाता, प्लॉट एवं रकबा को बतलाया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा लगान रसीद सं0– JH/36-A 054639 एवं विविध वाद सं0– 43/2008– 09 में पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा लगान रसीद सं0– 771928, 4846235, 088981, 088998, 4944042, 4944040, 088999, 4799849, 088996 तथा निबंधित विक्र पत्र सं0– 1317/1318, 2860/2851, 2861/2852, 1124/1121, 1756/1752, 3952, 3960, 1320/1319, 1600/1595, 1755/1751, 1064, 1319/1318, 10602/10364, 10600/10362, 3952, 1321/1320, 1598/1593, 1753/1749, 1753/1751, 1749/1745, 10599/10361 एवं 1597/ 1592 की छायाप्रति दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार ने अपने पत्रांक 251 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा– कोरामी, खाता सं0– 2, प्लॉट सं0– 451, रकबा– 3.99 एकड़, प्लॉट सं0– 460, रकबा– 0.17 एकड़, प्लॉट सं0– 461, रकबा– 0.87 एकड़, प्लॉट सं0– 459, रकबा– 0.32 एकड़ कुल रकबा– 5.35 एकड़ का मांग

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक के नाम से अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर के विविध वाद सं0– 43/2008–09 में पारित आदेश के आलोक में चालु किया गया है एवं सरकारी लगान रसीद 2015– 16 तक निर्गत किया गया है। पूर्व में भी अंचल अधिकारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी तथा आवेदक के पक्ष में पूर्व हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, छत्तरपुर के द्वारा प्रतिवेदन किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक के पूर्वज देवधारी सिंह के नाम से उपरोक्त भूमि दखल– कब्जे में थी तथा आवेदक के पक्ष में प्रतिवेदन होने के कारण जमाबंदी कायम करने एवं लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया है। आवेदक के नाम से वर्तमान में उपरोक्त भूमि का मांग कायम है। अभी तक मांग में किसी तरह का हस्तक्षेप या आरोप किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। मांग पंजी II के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के नाम से प्लॉट का जिक्र नहीं मिलता है। सिर्फ खाता सं0– 14 का जिक्र मिलता है। अतः प्लॉट पर दावेदारी गलत प्रतीत होता है। खतियान में खाता सं0– 2 देवधारी सिंह के दखल– कब्जे में भूमि दर्ज है तथा मांग पंजी II में भी	

(72)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	खतियानी रैयत के वंशज आवेदक अरुण सिंह के नाम से खाता सं0– 2 ही दर्ज है। विपक्षी 1. जपाली साव पिता– फगुनी साव, 2. सूर्यदेव साव पिता– स्व0 मानिक साव, 3. कन्हाई साव पिता– बिलासी साव, 4. हरखदेव साव पिता– श्री साव, 5. राजदेव साव पिता– श्री साव, 6. गंगा विशुन साव पिता– कईल साव, 7. सनेही साव पिता– तेजन साव, 8. शिवशंकर साव पिता– रामजन्म साव के नाम से पंजी II में खाता सं0– 14 का जिक्र मिलता है, आवेदक के भूमि का जिक्र नहीं मिलता है। 1. मिठू साव पिता– बिगु साव, 2. दशरथ साव पिता– बिगु साव, 3. पूरण साव पिता– मानिक साव, 4. सरयू साव पिता– स्व0 प्रगाश साव, 5. मराछु साव पिता– प्रगाश साव के नाम से मांग पंजी II में खाता सं0– 14 एवं विवादित भूमि का प्लॉट का जिक्र नहीं मिलता है। प्रथम पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत भूमि उनके परदादा देवधारी सिंह खतियानी रैयत थे एवं आपसी बटवारा में भूमि उन्हे प्राप्त है, साथ ही दावा है कि भूमि सुधार उप समाहार्ता, छत्तरपुर, पलामू के विविध वाद संख्या– 43/2008–09 में दिनांक– 26.12.2008 को पारित आदेश के आलोक में उनके पक्ष में जमाबन्दी कायम हुआ एवं लागान रसीद निर्गत किया गया, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, छत्तरपुर	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	(तत्कालिन) के यहाँ से रसीद क्रमांक सं0– JII/36- A 054639 जनवरी 2015 में निर्गत हुआ है जो आदेश के 7 वर्ष के बाद निर्गत किया गया है। (अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार के जाँच प्रतिवेदन का पत्रांक 251 दिनांक– 05.10.2015) द्वितीय पक्ष के लोगों का कहना है कि उपरोक्त प्रश्नागत भूमि जो मूलतः खाता सं0– 14 मौजा– तेलियाडीह के खतियानी रैयत कालीचरण साव, रघुन साव, गौरी साव के नाम से सर्वे खतियान है। सर्वे खतियान खाता सं0– 14 के दरैयती खतियान खाता सं0– 2 बना है, जिसके रैयत देवधारी सिंह थे। देवधारी सिंह के मृत्यु के उपरांत CNT Act के प्रावधान के अनुसार उनका दावा समाप्त हो गया है। CNT Act में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रैयत का अधिकार दरैयत में समाविष्ट हो जाय। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहों ने मौखिक रूप से स्वीकार किया है की भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा है। प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल खाता सं0– 14 के सभी प्लॉट सं0– 451, 460, 461 एवं 459 का लगान रसीद निर्गत होता रहा है। उभय पक्ष का दावा, कागजात, मौखिक साक्ष्य एवं अन्य प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 08.09.2015 को आवेदन पत्र दाखिल कर मकई का फसल काट लेने का आरोप लगाते हुए धारा 145 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया कायम करने हेतु अनुरोध किया गया था। आवेदक ने	

(23)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	खता सं0– 14 के अपने दादा को दरैयत होने की बात को छिपाते हुए प्रश्नगत भूमि को अपना बताया गया था तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर के विविध वाद सं0– 43 / 2008 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2008 के आलोक में एक लगान रसीद कटवाया गया, जबकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर द्वारा पारित विविध वाद की पूष्टि नहीं हुई तथा पदस्थापित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता– सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर के प्रभार प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.12.2008 को प्रभार में श्री मनोज कुमार, (भा0प्र0से0) थे, जबकी प्रथम पक्ष द्वारा आदेश की छायाप्रति में दिनांक 26.12.2008 को आदेश पाति है। उक्त आदेश में पूर्व अनुमण्डल पदाधिकारी, श्री डा0 रविन्द्र कुमार सिंह, (झा0प्र0से0) का संदिग्ध एवं फर्जी हस्ताक्षर प्रतीत होता है। उस पर जाँच एवं कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार को सूचित किया जा रहा है, कि आवेदक के नाम से संधारित मांग को गहनतापूर्वक जाँचकर मांग फर्जी पाए जाने कि स्थिति में मांग को विलोपित करने की कार्रवाई की जाय। इस प्रकार आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर दखल– कब्जा की पूष्टि नहीं होती है एवं दस्तावेज भी संदिग्ध है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अवलोकन एवं परिशिलन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वाद भूमि पर प्रक्रिया प्रारम्भ होनो कि तिथि	

7

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

के पूर्व से द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा विद्यमान रहा है।

अतः प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा घोषित किया जाता है तथा प्रथम पक्ष को प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर जाने से तब तक के लिए रोक लगाई जाती है, जब तक सक्षम न्यायालय का अन्यथा कोई आदेश पारति ना हो जाय।

इस न्ययालय द्वारा पारित जप्ती आदेश दिनांक 09.08.2016 को वापस लिया जाता है तथा रिसिवर थाना प्रभारी, नौडिहा बाजार को सूचित किया जाता है कि द्वितीय पक्ष को प्रक्रिया अंतर्गत विवादी भूमि का दखल– कब्जा सुपूर्द करें।

आदेश की एक प्रति थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार एवं अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार को आवश्यक कारवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.15 14:42:58 +05:30
Location: 192.168.113.105